[26/7/2019]
परिशिष्ट-अ

प्रश्न सं. [क्र. 4336]

ध्यानाकर्षण सूचना क्रमांक 195 द्वारा माननीय विधायक श्री बहादुर सिंह चौहान पर विभागीय टीप

वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर (सिंगल बैंच) द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 3056/2017 (दिनेश पिता मांगीलाल जैन विरूद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य) में दिनांक 17.07.2018 को आदेश पारित किए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में अनुवभिागीय अधिकारी महिदपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.02.2016, अपर आयुक्त उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2016 एवं राजस्व बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2017 इस शर्त पर अपास्त किया गया है कि वूसली की 20 प्रतिशत राशि (जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ की डिवीजन बैंच द्वारा दिनांक 27.06.2018 को आदेशित किया गया है) याचिकाकर्ता श्री दिनेश जैन जमा करेंगे।

उपरोक्तानुसार सशर्त आदेश पारित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण कलेक्टर उज्जैन को प्रत्यावर्तित करते हुए आदेश की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति से 03 माह की अवधि के भीतर नए सिरे से प्रकरण को निर्णित करने के आदेश दिए गए है। जिसमें कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-132/अ-67 /2017-18/1023 दिनांक 06.09.2018 अनुसार अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि 302925600/- की 20 प्रतिशत राशि रूपये 60585120/- शासकीय खजाने (खनिज मद) में जमा करें एवं तद्उपरांत ही प्रकरण को म0प्र0भू0रा0स0 1959 की धारा 247 (7) में अग्रिम सुनवाई की जा सकेगी। यह भी आदेशित किया जाता है मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक द्वारा जब तक 20 प्रतिशत राशि जमा नही की जाती तब तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) महिदपुर/अपर आयुक्त उज्जैन संभागए उज्जैन/मान0 राजस्व मण्डलए ग्वालियर के आदेश निरस्तगी की श्रेणी में आना नहीं माना जावेगा। अनावेदक द्वारा 20 प्रतिशत राशि जमा करते ही उक्त तीनों आदेश निरस्त माने जावे। न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील महिदपुर जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक/क्यू/रीडर/2018/1097 महिदपुर दिनांक 06.09.2018 से दिनेश जैन पिता मांगीलाल जैन निवासी-महिदपुर रोड को अंतिम सूचना-पत्र जारी कर दिनांक 10.09.2018 तक जमा करने हेतु सूचित किया गया। अनावेदक द्वारा आज दिनांक तक राशि जमा नहीं कराई। माननीय कलेक्टर न्यायालय के उक्त आदेश एवं अन्य मान0 न्यायालयों के आदेशों के खिलाफ श्री दिनेश जैन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में एस.एल.पी. क्रमांक 28983/2018 दायर की है जिसका जवाबदावा प्रस्तुत कियाजा चुका है। माननीय उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट अनुसार उक्त याचिका में आगामी सुनवाई दिनांक 16.09.2019 को नियत है। अवैध उत्खनन के प्रकरण में उपरोक्तानुसार वसूली की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

चूंकि प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है अत: किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

संचालक